

(5)

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है?
(हाँ / नहीं)

हाँ।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके
अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक
वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य
सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के
अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र
आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता
(वनवद्धता संलग्न की जाए)
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण
पत्रों / दस्तावेजों का व्यौरा।

संलग्न है।

संलग्न है।

दिनांक 22/01/2013।

स्थान :- थत्यूड।

(आमंत्रण)
अधिकारी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०ग्नि०वि०,
थत्यूड (ठिहरी गढवाल)।